उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्

"शक्ति भवन" 14-अशोक मार्ग

लखनऊ

संख्या : 1598 पी/रा०वि०प०-सीस-4 पी/1986, दिनांक : अगस्त 21, 1989

समस्त मुख्य अभियन्ता,
समस्त महाप्रबंधक,
समस्त मुख्य परियोजना प्रबंधक,
अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग,
उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् ।

विषय :-समयबद्ध वेतनमानों की अनुमन्यता हेतु प्रक्रिया एवं माप दण्डों का निर्धारण ।

महोदय,

परिषदीय सेवकों को समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत किये जाने विषयक पार्श्वांकित परिषदाज्ञाओं के अनुक्रम में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि परिषदीय अधिकारियों एवं कर्मचारिवर्ग को समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत करने की प्रक्रिया एवं मापदण्ड निम्नवत् होंगे :-

संख्या : 489-पी / रा० वि० प०-4 पी / 86,	दि० 25.2.89
संख्या : 963-पी / रा० वि० प०-4 पी / 86,	दि० 19.6.89
संख्या : 965-पी / रा० वि० प०-	दि० 19.6.89

(1) समयबद्ध वेतनमानों की स्वीकृति हेतु देय तिथि तक के ही सेवा-अभिलेख देख कर निर्णय लिये जायेंगे ।

(2) प्रथम समयबद्ध वेतनमान की अनुमन्यता हेतु विगत पाँच प्रविष्टयों में से तीन तथा द्वितीय समयबद्ध वेतनमान के लिये विगत पाँच में से चार प्रविष्टियाँ संतोषजनक होनी चाहिए । इनमें से अन्तिम का संतोषजनक होना अनिवार्य है ।

(3) उक्तानुसार यदि अन्तिम प्रविष्टि ठीक नहीं है तो सम्बन्धित अधिकारी/अधिकारिक को अगली प्रविष्टि अर्जित करने तक समयबध्द वेतनमान स्वीकृत नहीं किया जायगा । यदि अगली प्रविष्टि संतोषजनक पाई जाती है तो देय तिथि से समयबध्द वेतनमान स्वीकृत कर दिया जायगा ।

Scanned with CamScanner

(4) उन विषयों में जहां अंतिम दो प्रविष्टियां संतोषजनक नहीं हैं, सम्बन्धित सेवक को अगली प्रविष्टि अर्जित करने तक समयमान नहीं स्वीकृत किया जायगा। किन्तु, यदि अगली प्रविष्टि संतोषजनक पाई जाती है तो समयबद्ध वेतनमान देय तिथि से एक वर्ष बाद की बढ़ी हुई तिथि से दिया जायगा।

(5) तृतीय समयबद्ध वेतनमान के लिये विगत पांच प्रविष्टियों में सभी का संतोषजनक होना अनिवार्य होगा।

(6) (क) यदि प्रथम समयबद्ध वेतनमान की देय तिथि को उससे पूर्व के पांच वर्षों की प्रविष्टियों में से तीन प्रविष्टियां (अंतिम वर्ष की प्रविष्टि को सम्मिलित करते हुए) संतोषजनक नहीं है तो प्रथम समयबद्ध वेतनमान उस अगली तिथि से अनुमन्य होगा जबकि पूर्व के पांच वर्ष में से कुल मिला कर तीन वर्षों की संतोषजनक प्रविष्टियां अर्जित कर ली जायें, परन्तु इसका संचयी प्रभाव नहीं होगा।

(ख) यदि द्वितीय समयबद्ध वेतनमान की देय तिथि को उससे पूर्व के पांच वर्षों की प्रविष्टियों में से चार प्रविष्टियां (अंतिम वर्ष की प्रविष्टि को सम्मिलित करते हुए) संतोषजनक नहीं है तो द्वितीय समयबद्ध वेतनमान देय तिथि के बाद उस तिथि से अनुमन्य होगा जब कि पूर्व के पांच वर्षों में से कुल मिलाकर चार वर्षों की संतोषजनक प्रविष्टियां अर्जित कर ली जायं। परन्तु इसका संचयी प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) यदि तृतीय समयबद्ध वेतनमान की देय तिथि को उससे पूर्व के पांच वर्षों की प्रविष्टियां संतोषजनक नहीं हैं तो तृतीय समयबद्ध वेतनमान देय तिथि के बाद की उस तिथि से अनुमन्य होगा जब कि पूर्व पांच वर्षों में से कुल मिलाकर पांच वर्षों की संतोषजनक प्रविष्टियां अर्जित करली जायं। इस स्थगन का संचयी प्रभाव होगा। अर्थात तृतीय समयबद्ध वेतनमान में वेतन उसके अनुमन्य किये जाने की तिथि को नीचे वाले वेतनमान में अनुमन्य वेतन के आधार पर निर्धारित किया जायगा।

(7) उन विषयों में जहां किसी सेवक को देय तिथि से पूर्व के पांच वर्षों में से किसी एक वर्ष अथवा अधिक वर्षों की सत्यनिष्ठा प्रमाणित नहीं है, वहां समयमान उस समय तक नहीं स्वीकृत किया जाय जब तक वह सत्यनिष्ठा प्रमाणक रोके जाने वाले वर्ष से अगली तीन लगातार संतोषजनक प्रविष्टियां उक्त प्रमाणक के सहित अर्जित नहीं करता है। इस स्थिति में स्थगन का संचयी प्रभाव होगा।

(8) यथा परिषदाज्ञा संख्या 523 पी/रा० वि० प०-117 पी/87, दिनांक 25 अप्रैल, 1987 (प्रति संलग्न) में निर्दिष्ट, मात्र सतर्कता जाँच, अथवा विभागीय कार्यवाही लम्बित रहने के आधार पर समयबद्ध वेतनमान दिये जाने के विषयों में न तो बन्द लिफाफे की प्रक्रिया अपनाई जायगी और न उक्त आधार पर सेवकों के देय रोके जायेंगे। तथापि यह प्रक्रिया उन विषयों में यथावत अपनाई जाती रहेगी जिनमें सम्बन्धित सेवक निलम्बित हो, उसके विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही चल रही हो, सत्यनिष्ठा प्रमाणित नहीं हो, ट्रैप में गिरफ्तारी हुई हो अथवा आर्थिक शस्ति/प्रत्याप्ति (रिकवरी) किये जाने की स्थिति हो।

Scanned with CamScanner

(9) (क) यदि उस सेवाकाल, जिसकी प्रविष्टियों को समयबद्ध वेतनमान की अनुमन्यता हेतु विचारित किया जाना है, के मध्य वेतनवृद्धि रोके जाने का दंड दिया जाता है तो ऐसे विषयों में उतने वर्षों की प्रविष्टियां प्रतिकूल मानी जायेंगी जितनी कि वेतन वृद्धियाँ रोकी गई हों, भले ही प्रश्नगत सेवाकाल में वास्तविक अर्जित की गई प्रविष्टियाँ संतोष जनक हों।

(ख) जिन विषयों में निलम्बन की अवधि को ड्यूटी नहीं माना गया हो, ऐसे मामलों में समयबद्ध वेतनमान की देय तिथि भी उक्त निलम्बन काल के समतुल्य अवधि तक बढ़ा दी जायगी।

(10) यथा पूर्व परिषद आज्ञाओं में निर्दिष्ट, समयबद्ध वेतनमानों की स्वीकृति निर्धारित चयन प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त ही नियुक्ति अधिकारी द्वारा दी जायगी।

2- समयबद्ध वेतनमानों की स्वीकृति हेतु उपयुक्त अधिकारियों एवं सेवकों के चयन निमित चयन समितियाँ निम्नवत् होंगी :-

(1) **सभी संवर्गों के अधिकारियों के लिए:-**

(क) **तृतीय समयबद्ध वेतनमान हेतु**

(1) विद्युत सम्पूर्ति अधिनियम की धारा 5(4)(बी) के अधीन नियुक्त परिषद के सदस्य अथवा वरिष्ठतम अभियन्त्रण सदस्य,

(2) सदस्य (वित्त एवं लेखा) तथा

(3) सचिव

(ख) **प्रथम एवं द्वितीय समयबद्ध वेतनमानों हेतु**

(1) सदस्य-वितरण,

(2) सचिव, तथा

(3) परिषद् के वरिष्ठतम अपर सचिव (1) और (2) में से।

(2) **अवर अभियन्ताओं के लिए :-**

तृतीय समयबद्ध वेतनमान हेतु

(1) मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)

(2) परिषद द्वारा मनोनीत एक मु०अ० (स्तर-2)

(3) अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय) मु०अ० कार्यालय

प्रथम एवं द्वितीय समयबद्ध वेतनमानों हेतु

(1) मुख्य अभियन्ता

Scanned with CamScanner

(2) विद्युत सेवा आयोग के एक सदस्य

(3) अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय) मु०अ० कार्यालय

(3) **अराजपत्रित सेवकों के लिए**

इन सेवकों के लिए उचित स्तर की चयन समितियाँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित की जायेंगी।

3- अनुरोध है कि उपरोक्त प्रक्रिया एवं मापदण्डों का नैष्ठिक अनुपालन सुनिश्चित करें। एतदर्थ संगत सेवा विनियमों में आवश्यक संशोधन अलग से किये जा रहें है।

भवदीय,

एस० के० अग्रवाल

अपर-सचिव

संख्या : -पी(1)/रा०वि०प०-तीस-4पी/86

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित :-

1. नियंत्रक (लेखा), उ०प्र०रा०वि०प०, शक्ति भवन लखनऊ।
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०रा०वि०प०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, रा०वि०प०।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०रा०वि०प०।
5. परिषद् सचिवालय के समस्त अनुभाग/अधिकारी, निजी सचिव।
6. समस्त क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र०रा०वि०प०

आज्ञा से,

रामेश्वर प्रसाद भार्गव

संयुक्त-सचिव

Scanned with CamScanner